फर्द अहकाम

([illegible])

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर (भीलवाडा)

[illegible] नि. शक्करगढ

बनाम

[illegible] नि. बरोदा वगैरह.

किस्म मुकदमा जेर धारा 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. [illegible] / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	[illegible]
12.04.21	प्रार्थना पत्र लिये से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभावक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बरोदा पटवार हल्का, बरोदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 118, 119, 113 कुल किता 03 रकबा 09.16 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभावक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बरोदा पटवार हल्का, बरोदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 118, 119, 113 कुल किता 03 रकबा 09.16 बीघा की बतान्तात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष मे जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner